दिनांक 22.03.2021

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् स्वयं उपस्थित। प्रार्थी वादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र बाबत वाद विड्रॉ किए जाने के प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि वादीगण वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है, तथा इसी स्तर पर वाद को विड्रॉ करना चाहती है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाद विड्रॉ की अनुमति दी जावे।

प्रार्थीगण ने अपने पार्थनापत्र के स्वंय के शपथपत्र व स्वयं की पहचान के संदर्भ में स्वयं के फोटोयुक्त पहचान पत्रों की स्वयं के अंगूठा निशानी युक्त स्वप्रमाणित प्रति मय असल फोटो के प्रस्तुत की है।

हमने प्रर्थी वादीगण को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। चूँकि वादीगण स्वयं वाद को आगे नहीं चलाना चाहकर प्रकरण में कोई कार्यवाही अब नहीं चाहते है तथा प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रॉ करना चाहते है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण विड्रॉ के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.26 13:26:10 IST
Reason: SelfAttested